Tele : 26189210
Fax : 2618 3227
Web: www.ncbc.nic.in

सत्यमेव जयते

त्रिकूट-१, भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली – ११००६६
Trikoot-1, Bhikaji Cama Place,
New Delhi - 110066

भारत सरकार
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

Email/Speed Post

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
(A Constitutional body exercising powers of Civil Court under Article 338 'B' of the Constitution of India)

F.No. NCBC/06/03/629/2021-CP

Dated: 06.09.2021

To,

Registrar General & Census Commissioner India,
NDCC Bldg-II, 3rd Floor,
Jai Singh Road New Delhi- 110001.

Sub: Harassment by transfer against the rules by Directorate of Census Operations Uttar Pradesh to Directorate of Census Operations Maharashtra, Office of Registrar General of India.

Sir,

I am directed to refer to the hearing dated 24.08.2021 on the above mentioned subject and to forward herewith Minutes of the hearing along with the recommendation of NCBC for necessary action and furnish action taken report to this Commission at the earliest.

2. This issues with the approval of Hon'ble Chairman, NCBC.

Encl: As above

Yours faithfully,

J. Ravishankar 06/9/21

(J. Ravishankar)
Under Secretary (Admin)

<u>मि.स. रा.पि.व.आ./06/03/629/2021-सी.पी.</u>

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
अनुसंधान अनुभाग
सुनवाई के कार्यवृत

श्री हरपाल, श्री राममगन पाल एवं श्री सुखपाल द्वारा प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अध्यक्ष कार्यालय, प्रथम तल, त्रिकूट 1-, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066- में दिनाँक 24.08.2021 अपराह्न् 02:00 बजे सुनवाई नियत की।

बैठक में उपस्थित अधिकारी
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :

1. डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष
2. श्री आनंद कुमार, सचिव
3. श्री राजेश कुमार, सलाहकार
4. श्री दिनेश कुमार, माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव
5. डॉ. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी

उपस्थित अधिकारीगण:

1. श्री विवेक जोशी, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार
2. श्री एस. एन. शर्मा, उप सचिव, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार
3. श्री ए. के. राय, उप निदेशक, जनगणना निदेशालय, उत्तर प्रदेश

उपस्थित शिकायतकर्ता:

1. श्री हरपाल

2. श्री राममगन पाल
3. श्री सुखपाल

सुनवाई के दौरान हुई चर्चा के मुख्य बिन्दुओं का विवरण:

1. श्री हरपाल (शिकायतकर्ता) ने माननीय आयोग को अवगत कराया कि भूतपूर्व सैनिक है एवं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2009 में उनका चयन जनगणना निदेशालय, उत्तर प्रदेश में तृतीय वर्ग कर्मचारी के रूप में हुआ था। 25 जून 2018 तत्कालीन सहायक निदेशक श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा हम लोगों के खिलाफ फर्जी ऍफ़.आई.आर करवा दी गई जिसमे मोबाइल स्नेचिंग की धारा 392 के साथ अन्य धाराएँ भी लगवाई गई जिसमे से 03 धाराएँ माननीय न्यायालय द्वारा हटा दी है एवं नियमविरुद्ध हम लोगों का स्तानांतरण उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र राज्य में कर दिया गया। श्री राममगन पाल जब ऍफ़.आई.आर करवाने गये तो उनकी ऍफ़.आई.आर नहीं लिखी गई। जनगणना निदेशालय, दिल्ली द्वारा 04 सितम्बर को एक जांच कमेटी नियुक्त की गई थी।
2. माननीय आयोग द्वारा प्रश्न किया गया कि ऍफ़.आई.आर करवाने के पूर्व क्या उच्च अधिकारियों से अनुमोदन लिया गया था? श्री विवेक जोशी, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार ने आयोग को अवगत कराया कि ऍफ़.आई.आर करवाने हेतु ना ही श्री संतोष कुमार मिश्रा को एवं ना ही शिकायतकर्ता को कार्यालय के द्वारा कोई अनुमोदन नहीं दिया गया था। श्री संतोष कुमार मिश्रा ने पर्सनल कैपेसिटी में ऍफ़.आई.आर करवाई है जो कि नियमतः सही नहीं है।
3. चर्चा के दौरान आयोग को अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ताओं को निलंबित भी किया गया था एवं नवम्बर 2018 में निलंबन आदेश वापिस भी ले लिया गया था। श्री विवेक जोशी, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना

आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार ने आयोग को अवगत कराया कि शिकायतकर्ता का स्थानांतरण केवल शांति बनाने हेतु किया गया था। स्थानांतरण किये जाने के पश्चात् भी सेनिओरिटी को मेन्टेन किया गया है। श्री विवेक जोशी, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त ने आयोग को यह भी अवगत करवाया कि शिकायतकर्ता विभागीय जांच समिति में सहयोग नहीं कर रहे है एवं इनका मामला केट के समक्ष भी विचाराधीन है।

4. श्री राम मगन पाल (शिकायतकर्ता) ने माननीय आयोग को अवगत कराया कि कोविड पॉजिटिव होने के पश्चात् भी उनके एवं उनके परिवार के ऊपर ऍफ़.आई.आर की गई थी। श्री विवेक जोशी, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार ने यह माना कि यह उचित नहीं है।
5. आयोग ने पाया कि दोनों ही पक्षों की गलती है एवं शिकायतकर्ताओं की पारिवारिक स्तिथि को देखते हुए व नियमों को ध्यान में रखते हुए श्री विवेक जोशी, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार से अपेक्षा की है कि वे श्री हरपाल, श्री राममगन पाल एवं श्री सुखपाल का स्थानांतरण पुनः जनगणना निदेशालय, उत्तर प्रदेश में कर दें।

सुनवाई के पश्चात् आयोग का निर्णय:

समस्त पक्षों पर ध्यान पूर्वक चर्चा होने के पश्चात् माननीय आयोग ने यह निर्देश दिया कि नियमानुसार श्री हरपाल, श्री राममगन पाल एवं श्री सुखपाल का स्थानांतरण पुनः जनगणना निदेशालय, उत्तर प्रदेश में किया जाये। साथ ही श्री हरपाल व श्री राममगन ने माननीय आयोग के समक्ष शपथ पत्र दिया कि वे विभागीय जांच समिति में सहयोग करेंगे, केट के समक्ष लंबित मामलें को वापिस ले लेंगे, पूर्ण निष्ठां के साथ कार्य करेंगे एवं भविष्य में शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। माननीय आयोग द्वारा श्री विवेक जोशी, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त को 31 बिंदु प्रश्नावली उपलब्ध करवायी गई एवं प्रश्नावली के उत्तर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु

एक सप्ताह का एवं शिकायत का निपटान कर आयोग के समक्ष कृत कार्यवाही प्रस्तुत करने हेतु 03 कार्य दिवस का समय दिया गया।

दिनांक: 31-08-2021
स्थान: नई दिल्ली

30/8/21

(डॉ. भगवान लाल साहनी)
अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग